21-6-18 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी /उभयपक्ष
हाजिर / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 11-6-18 को पेश हों।

सहायक कलक्टर
(मु.) सीकर

11-6-18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
सी.एम.महो.अन्य कार्य में व्यस्त/ होने/
अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21-6-18 को पेश हो।

21-6-18 पत्रावली पेश हुई/ वकील वादी /उभयपक्ष
हाजिर / पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 18/7/18 को पेश हों।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

18-7-18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व प्रार्थिका स्वयं हाजिर आज फिर बहस सुनी गई लेकिन हाजिर नहीं आये। मूल दावा अंतर्गत धारा 9 व अंतर्गत धारा 24 में लंबित किया गया है ऐसी स्थिति में इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थिका अंतर्गत धारा 9 व अंतर्गत धारा 24 में लंबित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर कार्यवाही अभिलेखगत हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

निर्णय आज दिनांक 18-7-18 को सुबह इजलास प्रकाश किया गया।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर